न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:— 36/2022
दायर दिनांक:— 09.05.2022
निर्णय दिनांक:— 24.05.2022

उनवान

1. माधव लाल पुत्र गणेश जाट निवासी मुण्डकटिया।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगा बाई पत्नी छगन लाल जाट निवासी मुण्डकटिया।
2. चम्पा लाल पिता गोपी लाल जाट निवासी मुण्डकटिया।
3. गोपाल पिता बालु वैष्णव निवासी मुण्डकटिया।
4. किशन लाल पिता नगजीराम जाट निवासी मुण्डकटिया।
5. जगदीश पिता डालु जाट निवासी मुण्डकटिया।
6. मोहन लाल पिता उँकार जाट निवासी मुण्डकटिया।
7. नगजीराम पिता मोहन लाल जाट निवासी मुण्डकटिया।
8. नगजीराम पिता किशोर जाट निवासी मुण्डकटिया।
9. गोपी लाल पिता रूपा जाट निवासी मुण्डकटिया।
10. प्रकाश पिता रूपा जाट निवासी मुण्डकटिया।
11. रमेश पिता नाथु जाट निवासी मुण्डकटिया।
12. सुरेश पिता डालु जाट निवासी मुण्डकटिया।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **मुण्डकटिया** पटवार हल्का **पारी** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 578 रकबा 0.21 है., आ.स. 598 रकबा 0.10 है. आं.सं. 602 रकबा 0.15 है.,आ.सं 576 रकबा 0.55 है. आ.सं. 579 रकबा 0.14 है. आ.सं. 580 रकबा 0.38 है. आं.सं. 581 रकबा 0.35 है. आं.सं. 592 रकबा 0.40 है.** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायाल[illegible] प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.06.01 11:39:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **24.05.2022** को खुले न्यायालय में सुनवा[illegible] गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ (राज.)